Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम ..)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

घनश्याम बनाम कालूराम आदि

किस्म मुकदमा – 212 आर टी एक्ट

नं मुकदमा 08 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण रोही चकजोड खसरा नम्बर 134 तादादी 7.8300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 136 तादादी 10.3700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 201 तादादी 0.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 216 तादादी 1.2600 हैक्टेयर कुल तादादी 19.5500 हैक्टेयर बारानी भूमि में आगामी तारीख पेशी तक विशिष्ट भू–भाग का बेचान न करे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करे। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नही होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 28.02.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/2/22	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 4/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
04/03/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग [illegible] हाजिर की गई। वकील प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया गया की पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नही चलाना चाहते है [illegible] प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉल प्रार्थना पत्र RTA धारा [illegible] है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पर वापिस विड्रॉल खारिज किया जाता है। [illegible] शामिल निर्णय में [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	घनश्याम (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:48:31 IST
Reason: SelfAttested